संख्या-795/2026/1770/22-2-2025-17(1056)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 22 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती प्रेमपती पत्नी स्व0 भगौती प्रसाद मिश्र, निवासी जनपद-फैजाबाद/अयोध्या की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-31281/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-21.07.2025, दिनांक 05.08.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती प्रेमपती पत्नी स्व0 भगौती प्रसाद मिश्र, जो मिसरौली, थाना-रौनाही, जनपद-फैजाबाद/अयोध्या का निवासी है। श्रीमती प्रेमपती का शोभनाथ व रामप्रसाद के साथ अवैध सम्बन्ध होने के कारण दिनांक 09-06-1980 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारकर अपने पति भगौती प्रसाद मिश्र की हत्या कारित की गयी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-223/1981, भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, फैजाबाद के दण्डादेश दिनांक 28-08-1982 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 09-12-2015 द्वारा महिला बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10-02-2025 अपरिहार 04 वर्ष 03 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 05 माह 28 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित बिन्दुओं पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्राप्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध जो व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न आकर एक जघन्य एवं गंभीर प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरुद्ध रखने से पीडित पक्ष व समाज में कानून का भय व कानून पर विश्वास होने परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या द्वारा वरिष्ठ पुलिस

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

//shasanadesh.up.gov.in

अधीक्षक अयोध्या की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती प्रेमपती पत्नी स्व0 भगौती प्रसाद मिश्र की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10.02.2025 तक महिला बन्दी की 64 वर्ष की आयु मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 10:02.2025 तक अपरिहार 04 वर्ष 03 माह 18 दिन तथा सपरिहार 05 वर्ष, 05 माह 28 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट अयोध्या द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की जाती है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती प्रेमपती (बन्दी संख्या-9764/2021) पत्नी स्व0 भगौती प्रसाद मिश्र, निवासी जनपद-फैजाबाद/अयोध्या की 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-795/2026/1770(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अयोध्या।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।